

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2026 (भाद्र 02, 1948)

प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों के अधीन बनाये गये निम्नलिखित संविहित नियम तथा आदेश विधान सभा के जुलाई, 2026 सत्र से उनके सम्बन्धित दिनांक को पटल पर रखे गये.

क्र.	नियम/अधिसूचना का क्रमांक एवं राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	संक्षिप्त विषय	पटल पर रखे जाने का दिनांक	विभाग
1.	क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (04), दिनांक 03 फरवरी, 2026,	क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (01), दिनांक 14 जनवरी, 2020 में संशोधन किया जाना.	20 जुलाई, 2026	वाणिज्यिक कर
2.	क्रमांक CT-8-0002-2026-Sec-1-पांच(CT) (05), दिनांक 26 फरवरी, 2026,	म.प्र.माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (क्र.19 सन् 2017) की धारा 112 की उपधारा (1) में संशोधन किया जाना.	20 जुलाई, 2026	वाणिज्यिक कर
3.	क्रमांक एफ ए 3-02/2017/1/पांच(06), दिनांक 06 मार्च, 2026,	म.प्र.माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 109 क के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में संशोधन किया जाना.	20 जुलाई, 2026	वाणिज्यिक कर
4.	क्रमांक CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच(CT) (07), दिनांक 31 मार्च, 2026.	म.प्र.वेट अधिनियम 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) में संशोधन किया जाना.	20 जुलाई, 2026	वाणिज्यिक कर
5.	क्रमांक CT-15-0001-2025-Sec-1-पांच(CT)(08), दिनांक 31 मार्च, 2026,	अधिसूचना क्र.एफ ए-3-28-2011-1(पांच) (05) दिनांक 15 फरवरी 2011 में संशोधन.	20 जुलाई, 2026	वाणिज्यिक कर
6.	क्रमांक CT-4-2--0001-2023-Sec-1-पांच (CT)(09), दिनांक 31 मार्च, 2026,	म.प्र.वेट अधिनियम 2002 (क्र.20 सन् 2002) की धारा 46 की उपधारा (8) के खण्ड (क) या उपधारा (9) के प्रावधानों में संशोधन किया जाना.	20 जुलाई, 2026	वाणिज्यिक कर
7.	क्रमांक CT-4-2-0001-2023-Sec-1-पांच (CT) (10) दिनांक 22 अप्रैल, 2026. (शुद्धि पत्र)	अधिसूचना क्रमांक CT-4-2-0001-2023-Sec-1-पांच (CT) (09) दिनांक 31 मार्च, 2026 में संशोधन किया जाना.	20 जुलाई, 2026	वाणिज्यिक कर
8.	क्रमांक CT-8-0004-2026-Sec-1-पांच (12), दिनांक 18 मई, 2026	म.प्र.माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 167 के तहत संशोधन किया जाना.	20 जुलाई, 2026	वाणिज्यिक कर
9.	125/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 20 जनवरी, 2026,	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.में अन्तर्गम्यिक शुल्की पहूँच के लिए निबन्धन तथा अर्बे) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2021 में पष्ठम संशोधन किया जाना.	21 जुलाई, 2026	विद्युत

10.	क्रमांक 401/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 12 मार्च, 2026	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग ऊर्जा के नवीनीकरण (अक्षय स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम 2021 में पंचम संशोधन कर वर्ष 2026 विनियम बनाया जाना.	21 जुलाई, 2026	ऊर्जा
11.	क्रमांक 888/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 27 मई 2026	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (अवद्ध विद्युत संचयनों तथा आवद्ध उपयोगकर्ताओं का मत्यापन) विनियम 2023 में द्वितीय संशोधन किया जाना.	21 जुलाई, 2026	ऊर्जा
12.	क्रमांक 1016/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 18 जून 2026	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग, एतद द्वारा म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीनीकरणय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले विनियम (पुनरीक्षण द्वितीय) 2024 में संशोधन किया जाना.	22 जुलाई, 2026	ऊर्जा

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.